


27/6/22

परावली पेशा डुबो वकील वाडी  
सब परिवारी की बहस दिनांक  
20/6/2022 को हनी गयी परावली  
में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन  
किया गया जिसमें एक सह खातेदार  
दूसरे सह खातेदार को अर्थात्  
निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का  
अधिकारि नहीं है, विधि का सुव्यवहित  
विधान है कि सह खातेदारी के एक  
आराजीभार के प्रायोगिक विपक्षीयता  
को पाबन्द करने के अधिकारि नहीं  
बोलते हैं वाडी सब परिवारीगत की  
सह खातेदारी के एक आराजीभार  
में काउ पत्र 188 का जो पेशा किया  
गया है जिसमें धर्म की पत्र पत्र  
नहीं बनाये गये हैं, इसलिए केवल  
आराजीभार को परेक्षण करने की  
पजह से अर्थात् निषेधाज्ञा से  
पाबन्द कराया है जो परावली के उपलब्ध  
दस्तावेजों, सब जमावनी का भी अवलोकन  
किया जाने से सह खातेदारी के आराजीभार

लिखित है फावली में अपूरणीय  
को प्रशिक्षण को नहीं होकर  
विप.क्षीगण को हो रही है रसाले  
फावली में जारी की गयी है  
विषे धारा को स्याइज की जाती  
है। फावली में सल सुकार वर  
ले कर है।

  
उपस्थंड अधिकारी  
पंचर, बिला-बिलोदगद